

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम)

देहरादून : दिनांक : 11 जनवरी, 2018

विषय: उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत अल्मोड़ा प्रभाग हेतु Agri Business Support Organization (ABSO) Consultancy हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0-2 के पत्रसंख्या 1646/3-33(ABSO KUMAON) दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत अल्मोड़ा प्रभाग हेतु Agri Business Support Organization (ABSO) Consultancy कार्यों हेतु शासनादेश संख्या 56/2017-7(5)/2017 दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा अनुमोदित संस्था Central Himalayan Environment Association (CHES) 06 Waldort Compound Mallital Nainital Uttarakhand को कन्सलटैन्सी कार्यों के लिए शासनादेश संख्या 181/2017-7(5)/2017 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा 4 वर्षों की अवधि के लिये अनुमोदित लागत रु0 1,25,00,000.00 (एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 35.00 लाख (रु0 पैंतीस लाख मात्र) का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय कार्य/योजना हेतु लागू वर्तमान नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं विश्व बैंक की गाईड लाईन्स के अनुसार किया जायेगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 97-वाह्य सहायतित योजना 9701-उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के मानम मद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत मुख्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी गई/रखी जाने वाली धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-131/XXVII-4/2017
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या ९३६ ज०प्र०अनु०/२०१७-७(५)/२०१७ दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड मांजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, ऑडिट उत्तराखण्ड इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।